



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 108 राँची, बुधवार, 9 फाल्गुन, 1945 (श०)
28 फरवरी, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

8 दिसम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-51/2020-25305 (HRMS)--श्री डेविड बलिहार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-801/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नीमडीह, सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4420, दिनांक 23.12.2022 के माध्यम से उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पत्रांक-625, दिनांक 25.08.2022 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है। आरोप पत्र में इनके विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2009-10 में नरेगा योजनान्तर्गत मानव दिवस सृजन में धीमी प्रगति, योजना की पूर्णता की स्थिति दयनीय, श्रम बजट के विरुद्ध व्यय का प्रतिशत में कमी, MIS इन्ट्री में असंतोषजनक प्रगति एवं लापरवाही, एवं जॉब कार्डधारियों को रोजगार मुहैया कराने में लापरवाही संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-595, दिनांक 30.01.2023 द्वारा श्री बलिहार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री बलिहार के पत्र, दिनांक 13.02.2023 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री बलिहार के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2814, दिनांक 16.05.2023 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की माँग की गयी। ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-2351, दिनांक 05.06.2023 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया ।

श्री बलिहार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत श्री बलिहार के विरुद्ध निन्दन का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-4535, दिनांक 07.08.2023 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी है। उक्त के अनुपालन में श्री बलिहार के पत्र, दिनांक 08.09.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित किया गया है, जिसमें प्रतिवेदित है कि मनरेगा योजना के कार्यान्वयन एवं शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु इनके द्वारा प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं मनरेगा कर्मियों के साथ लगातार बैठक करते हुए लक्ष्य के अनुरूप प्रगति हेतु निदेशित किया गया तथा स्वयं टीम गठित कर योजना स्थलों का निरीक्षण किया जाता रहा। उस समय धनकटनी को लेकर श्रमिक की अनुपलब्धता के कारण काफी परिश्रम करने के उपरांत भी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका जो कि एक स्थानीय समस्या थी, जिसके लिए ये किसी भी प्रकार से दोषी नहीं हैं ।

श्री बलिहार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में उन्हीं तथ्यों को प्रस्तुत किया गया है, जो इनके द्वारा पूर्व में समर्पित स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित किया था। इनके द्वारा कोई नया तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। श्री बलिहार द्वारा उनके विरुद्ध गठित आरोपों में प्रतिवेदित लक्ष्य एवं उपलब्धि से संबंधित डाटा से इंकार नहीं किया गया है। आरोप पत्र से स्पष्ट है कि उनके द्वारा माह नवम्बर 2009 तक लक्ष्य के विरुद्ध मात्र 31.31 योजनाओं को पूर्ण किया गया है। इसी तरह मानव दिवस सृजन, श्रम बजट के विरुद्ध व्यय, MIS इन्ट्री एवं जॉब कार्डधारियों को रोजगार उपलब्ध कराने का प्रतिशत भी अत्यंत ही कम, जो क्रमशः 40.78%, 11.1%, 69.10% एवं 28.58% है ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री डेविड बलिहार, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नीमडीह, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री डेविड बलिहार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	DEVID BALIHAR BHR/BAS/3645	श्री डेविड बलिहार, झां०प्र०से० (कोटि क्रमांक-801/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, नीमडीह, सरायकेला-खरसावाँ के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार संयुक्त सचिव ।
जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/3601
